न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00479

1. रामभज आयु बालिग आत्मज श्री धन्ना जाति बैरवा निवासी नीमोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. केसरा आयु बालिग श्री धन्ना जाति बैरवा निवासी नीमोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
3. निर्मला बाई आयु बालिग पत्नी श्री रामनिवास जाति बैरवा निवासी नीमोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. बदाम बाई आयु बालिग पत्नी श्री मोहन लाल जाति बैरवा निवासी नीमोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. हीरा आयु बालिग आत्मज श्री लक्ष्मण जाति बैरवा निवासी नीमोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. मोती आयु बालिग आत्मज श्री गिरधारी जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
2. कस्तूरा आयु बालिग आत्मज श्री गिरधारी जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
3. रामनाथ आयु बालिग आत्मज श्री गिरधारी जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
4. सेसर आयु बालिग पुत्री श्री गिरधारी जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
5. मोत्या आयु बालिग पुत्री श्री गिरधारी जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
6. प्रेम आयु आयु बालिग पुत्री श्री गिरधारी जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
7. पारी आयु आयु बालिग पत्नी स्व0 श्री गिरधारी जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
8. रामदेव आयु बालिग आत्मज श्री नारायण जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
9. भंवर लाल आयु बालिग आत्मज श्री नारायण जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
10. जगदीश आयु बालिग आत्मज श्री नारायण जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
11. छीतर आयु बालिग आत्मज श्री रामदेवा जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
12. कजोड आयु बालिग आत्मज श्री रामदेवा जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
13. लटूर आयु बालिग आत्मज श्री चतुर्भुज जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
14. गंगाराम आयु बालिग आत्मज श्री डालू जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
15. भंवर लाल आयु बालिग आत्मज श्री डालू जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
16. रामधन आयु बालिग आत्मज श्री डालू जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
17. मांगीलाल आयु बालिग आत्मज श्री डालू जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
18. केसरा आयु बालिग आत्मज श्री छीतर जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
19. प्रेम देवी आयु बालिग पत्नी श्री गंगाराम जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
20. मीरा बाई आयु बालिग पत्नी श्री भंवर लाल जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
21. सुगना आयु बालिग पत्नी श्री मांगीलाल जाति बैरवा निवासी नीमोद ।

22. कमला आयु बालिग पत्नी श्री रामधन जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
23. दुर्गा आयु बालिग आत्मज श्री नारायण जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
24. बंटी आयु बालिग पुत्री खानी जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
25. हनुमान आयु बालिग पुत्र खानी जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
26. फोरू आयु बालिग आत्मज श्री रामदेव जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
27. कमला आयु बालिग पुत्री श्री रामदेव जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
28. हेमराज आत्मज श्री शोजी नाबालिग द्वारा माता राजेशबाई पत्नी शोजी जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
29. फौजी आत्मज श्री शोजी नाबालिग द्वारा मात राजेश बाई पत्नी शोजी जाति बैनवा निवासी नीमोद ।
30. मौजी आत्मज श्री शोजी नाबालिग द्वारा मात राजेश बाई पत्नी शोजी जाति बैनवा निवासी नीमोद ।
31. सुगना पुत्री श्री शोजी नाबालिग द्वारा मात राजेश बाई पत्नी शोजी जाति बैनवा निवासी नीमोद ।
32. राजेश बाई आयु बालिग पत्नी श्री शोजी जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
33. शंकर आयु बालिग आत्मज श्री कजोड जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
34. रमेश आयु बालिग आत्मज श्री गोपी जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
35. प्रकाश आयु बालिग आत्मज श्री गोपी जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
36. चेतराम आत्मज श्री गोपी नाबालिग द्वारा माता गंगाबाई पत्नी गोपी जाति बैरवा निवासी नीमोद ।
37. गंगाबाई आयु बालिग पत्नी श्री गोपी जाति बैरवा निवासी नीमोद सभी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश नामधराणी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 14.10.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नीमोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खाता संख्या 102 की कृषि भूमि

खसरा नम्बर 125 रकबा 07 बीघा स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी क्रम 1 लगायत 6 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य में दर्ज है जिस पर उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है । ग्राम नीमोद में ही खाता संख्या 69 की आराजी खसरा नम्बर 124 रकबा 07 बीघा 04 बिस्वा स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी क्रम 07 लगायत 10 के संयुक्त कब्जे काश्त में दर्ज है । ग्राम नीमोद में ही खाता संख्या 55 की आराजी खसरा नम्बर 123 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा स्थित है जो वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 11 व 12 के कब्जे काश्त में दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम नीमोद में खाता संख्या 134 में खसरा नम्बर 122 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 13 के कब्जे काश्त में दर्ज है । इसी प्रकार खाता संख्या 32 खसरा नम्बर 121 रकबा 07 बीघा 01 बिस्वा प्रार्थी क्रम 14 लगायत 17 के खाते में दर्ज है । खाता संख्या 27 की खसरा नम्बर 120 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा भूमि वर्तमान में प्रार्थी संख्या 18 से 22 के संयुक्त खाते में दर्ज है । खाता संख्या 151 की खसरा नम्बर 119 रकबा 07 बीघा, ख्सरा नम्बर 119/470 की 16 बिस्वा कुल 02 किता की रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा भूमि वर्तमान में प्रार्थी संख्या 23 लगायत 27 के संयुक्त खाते में दर्ज है । खाता संख्या 161 की खसरा नम्बर 118 रकबा 07 बीघा भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी के संयुक्त खाते में दर्ज है । प्रार्थीगण की उक्त भूमियों के उत्तरी ओर अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 126 व 127 स्थित है एवं उसके बाद ग्राम नीमोद से नीमादे के माल में जाने वाला आम रास्ता खसरा नम्बर 128 है जो आम रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । प्रार्थीगण अपने स्वामित्व की भूमियों पर गॉव से इसी रास्ते खसरा नम्बर 128 पर होते हुए खसरा नम्बर 127 व 126 की पूर्वी मेर के सहारे–सहारे बने हुए रास्ते का जो करीब 12 फीट चौडा रास्ता है का उपयोग उपभोग कर अपने खेतों पर कृषि यंत्र, ट्रेक्टर, ट्रोली जानवर आदि लाते ले जाते रहे हैं । उक्त रास्ता करीब 50 वर्षों से भी अधिक समय से इसी प्रकार बना हुआ है । उक्त रास्ता खसरा नम्बर 128 से खसरा नम्बर 118 तक से सभी खसरा नम्बरान की पूर्वी ओर मेर के सहारे बना हुआ है । प्रार्थीगण के खेतों पर आने–जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है । अप्रार्थीगण जून, 2017 से उक्त रास्ते को बिगाडने पर आमादा हैं एवं आये दिन उक्त रास्ते को हांककर अथवा रास्ते में अवरोध आदि रखकर प्रार्थीगण के खेतों पर आने–जाने में बाधा उत्पन्न करने लगे हैं ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की भूमि आराजी खसरा नम्बर 126 व 127 की पूर्वी ओर की मेर के सहारे 12 फुट चौडा रास्ता बाजार कीमत पर दिलाये जाने का आदेश पारित करते हुए रास्ते में उपयोग आने वाली भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे एवं रास्ते की भूमि का अप्रार्थीगण के खाते की भूमि से कम किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

4. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.11.2019 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निर्णय पारित किया गया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.11.2019 से व्यथित होक प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना, किसी साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लिये बिना व बहस सुने बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमियॉ ग्राम नीमोद से धोला बरडा जाने वाले आम रास्ते से मिली हुई होने और अपने पूर्वजों के समय से इसी रास्ते का उपयोग करते चले आने व प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के पास पूर्व से उक्त रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद अपीलान्ट की भूमि में नया रास्ता कायम करने में विधिक त्रुटि की है रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट की भूमि की पूर्वी मेर के सहारे जबरन झींकरा डालकर रास्ता बना लिय था जिसके फोटोग्राफ अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये हैं और बनाये गये नवीन रास्ते को फोटोग्राफ में ए टू बी भाग के रूप में दर्शाया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस दर्शाये गये रास्ते को इगनोर करते हुए अपीलान्ट के खेत में नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है जो विधि–विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 126, 127 पर रास्ता घोषित किया है लेकिन खसरा नम्बर 127 व रास्ता खसरा नम्बर 128 के मध्य खसरा नम्बर 134 स्थित है जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा आपत्ति करने के बावजूद खसरा नम्बर 134 के स्वामी को पक्षकार नहीं बनाया है । खसरा नम्बर 126 में जिस स्थान पर रास्ता घोषित किया गया है उस स्थान पर नक्शे में अपीलान्ट का कुआ बना हुआ है इस तथ्य को नजरअन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । नायब तहसीलदार दबलाना को मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया था लेकिन पटवारी ने अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में भिजवा दी जिस पर अपीलान्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई और न्यायालय ने दिनांक 14.11.2019 को बहस आपत्ति सुनकर स्वयं उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौका देखकर आपत्ति मौका रिपोर्ट के आदेश हेतु पेशी दिनांक 27.11.19 नियत की गई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.11.2019 को आपत्ति खारिज कर पक्षकारान की साक्ष्य लिये बिना व बहस सुने बिना ही निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण ने अपीलान्ट के खाते की आराजी से नया रास्ता कायम करने के लिए प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया । अपीलान्ट के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया कि रेस्पोडेन्ट के पास 02 वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं। इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर नायब तहसीलदार दबलाना को रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए लिखा गया लेकिन पटवारी ने अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में रिपोर्ट भिजवा दी । अपीलान्ट ने इस पर आपत्ति की । आपत्ति पर बहस सुनकर पीठासीन अधिकारी ने स्वयं मौका देखने के लिए दिनांक 19.11.2019 की तारीख नियत की । दिनांक 19.11.2019 को पीठासीन अधिकारी वहॉ नहीं पहुंचे और आगामी तारीख की कोई सूचना नहीं दी गई । दिनांक 20.11.2019 को अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी ने मौका देखा और उसके उपरान्त अपीलान्ट को बहस का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है । रेस्पोडेन्ट के पास 02 वैकल्पिक

रास्ते मौजूद हैं । मौका रिपोर्ट में दूसरे वैकल्पिक रास्ते का कोई विवरण अंकित नहीं है। अपीलान्ट के खाते की आराजी में रास्ता कायम करने का जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के द्वारा रास्ते के बाबत् एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई । अपीलान्ट क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं । पूर्व में जो रिपोर्ट दिनांक 25.09.2019 की प्रेषित की गई है उस पर अपीलान्ट केसरा के हस्ताक्षर हैं । अपीलान्ट के द्वारा जो आपत्ति पेश की गई थी उस पर सुनवाई के उपरान्त पीठासीन अधिकारी ने स्वयं मौका देखा है । और 19.11.2019 को मौका देखने में समर्थ नहीं होने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिनांक 20.11.2019 की तारीख नियत की गई है और दिनांक 20.11.2019 को पीठासीन अधिकारी के द्वारा जब मौका देखा गया तब अपीलान्ट क्रम 1 रामभज वहॉ मौजूद रहे हैं । पीठासीन अधिकारी ने मौका देखकर वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होने की स्थिति में ही विधि सम्मत रूप से रास्ता कायम किया है । अपीलान्ट ने काल्पनिक रूप से एक अन्य रास्ता होने का कथन किया है जबकि ऐसा कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है । रास्ता कायम करने की जो प्रक्रिया है वो संक्षिप्त कार्यवाही होती है जिसमें जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर और मौका रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय पारित किया जाता है । इस प्रकरण में पीठासीन अधिकारी ने स्वयं मौका देखकर अपीलान्ट की आपत्ति खारिज की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.11.2019 के अनुसार मौका निरीक्षण हेतु पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिनांक 19.11.2019 की तारीख तय की गई थी । 19.11.2019 के स्थान पर दिनांक 20.11.2019 को मौका देखा गया है और इस मौका रिपोर्ट पर रामभज अपीलान्ट क्रम 01 के निशानी अंगूठा हैं । हालांकि अपीलान्ट रामभज के अभिभाषक अपीलान्ट की उपस्थिति से इंकार करते हैं ।शेष अपीलान्ट दिनांक 20.11.2019 को उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही उनके अभिभाषक उपस्थित हुए हैं । दिनांक 20.11.2019 की कोई आदेशिका पत्रावली पर अंकित नहीं की गई है । दिनांक 27.11.2019 की आदेशिका के अनुसार मौका निरीक्षण के आधार पर आपत्ति खारिज की गई है और पत्रावली आदेश के लिए दिनांक 29.11.2019 के लिए नियत की गई है । अपीलान्टगण को बहस करने एवं दिनांक 20.11.2019 की मौका रिपोर्ट के बाबत् अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है जो कि न्यायहित में आवश्यक है ।

11. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की मद संख्या 11 से 14 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 127 व 126 की मेर पर 12 फीट रास्ता बना हुआ है जिसका उपयोग प्रार्थीगण 50 वर्षों से कर रहे हैं व अप्रार्थीगण इसमें अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं । इन तथ्यों के आधार पर यह प्रकरण धारा 251 के तहत रास्ते के खुलासे से सम्बन्धित प्रतीत होता है न कि धारा 251 ए के तहत नये रास्ते का । विद्यमान रास्ते के खुलासे का क्षेत्राधिकार

तहसीलदार/ग्राम पंचायत को होता है । इन तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण में क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया जाना भी आवश्यक है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है पैरा संख्या 11 में किये गये विवेचन के मध्यनजर यदि यह प्रकरण नये रास्ते के कायमी से सम्बन्धित पाया जाता है तो अपीलान्टगण को दिनांक 20.11.2019 की मौका रिपोर्ट के बाबत् अपना पक्ष रखने एवं बहस करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 18.11.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 14.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14.10.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा